


फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विद्यास मंत्रान्वार** ..... 2. वर्तमान धारित पद **उप निमित्तक** .....

3. वर्तमान वेतन ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2018** .....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय                                       | अभियुक्ति |   |
|--|----------------------------|------|--|--|--|-----------|---|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |  |           |   |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)       | (8)                                     |
| जिला - भीषाब<br>तहसील डुजूर<br>रैवेदवाग                              | आवासीय भवन                 | -    | गाइड<br>ल्याइज<br>अनुसार   | स्वयं के नाम   | बैंक से लोन एवं स्वयं की बचत से खरीदा गया<br>दिनांक 7-8-2008 | -         | प्रधान कार्यलय से अनुमति प्राप्त की गई। |

हस्ताक्षर  .....  
 नाम **विद्यास मंत्रान्वार** .....  
 पद **उप निमित्तक** .....  
 विभाग **शारिकीय सुकल तम लेखक सामग्री**  
**अप्ट भीषाब**

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

उप बियंलक

हीरिन्स राज्तिरन

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो
2. वर्तमान धारित पद
3. वर्तमान वेतन

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे             |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय   | अभियुक्ति |                                      |
|--|--|------|--|--|--|-----------|--------------------------------------|
|  | गृह तथा अन्य भवन                       | भूमि |  |  |  |           |                                      |
| (1)  | (2)                                    | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)       | (8)                                  |
| जिला - श्रीपाल<br>तहसील - डुबूर<br>(मिसरीड-2)                        | सावासीय<br>भूरतड<br>61452.6<br>वर्गफीट | -    | गाड्ड<br>लखन<br>अबुसाद   | स्वयं के नाम   | कय कियो गमा<br>वर्ष 2012<br>कामी लय श्रीपाल विकास<br>प्राधिकरण श्रीपाल | -         | प्रधान कामीलम<br>के अनुमति ही<br>गई। |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर.....  
 नाम .....  
 पद .....  
 विभाग .....  
 श्री राजीव कुमार लामा  
 उप निपटक  
 मन्त्र प्रंट श्रीपाल

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

.....

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **एच.के. मोहनराव (विं.के.)** वर्तमान धारित पद **.....**

3. वर्तमान वेतन **₹. 73,000/-**..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **.....**

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो             | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |              | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति    |
|--|----------------------------|--------------|-----------------|--|--|------------------------|--------------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि         |                 |  |  |                        |              |
| (1)  | (2)                        | (3)          | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)          |
| जिला - <b>.....</b><br>तहसील - <b>.....</b><br>ग्राम - <b>.....</b><br>(विशंगढ़) | <b>.....</b>               | <b>.....</b> | <b>.....</b>    | <b>.....</b>   | <b>.....</b>   | <b>.....</b>           | <b>.....</b> |

हस्ताक्षर.....  
 नाम **.....**  
 पद **.....**  
 विभाग **.....**

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (1-1-2017 से 31-12-17)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : **धर्मेश्वर कुमार शर्मा**

2. वर्तमान धारित पद : **इंस्पेक्टर**

3. वर्तमान वेतन : **57,400/-**

अगली वेतनवृद्धि की तारीख : **सुबह, 18**

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, परदा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय  | अभियुक्ति |                       |
|--|----------------------------|------|--|---|---|-----------|-----------------------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |   |   |           |                       |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)   | (6)   | (7)       | (8)                   |
| रतार रवेडा, आनन्द नगर, भोपाल   | खरकड 30x50 वर्ग फीट        |      | 22 लालक भगमग   | स्वयं एवं पत्नी के नाम पर   | अपने एकलाव में श्रीमती मीरा श्रीरवानी से प्राच, 2004 में क्रय किया गया। क्रय पर्सनल लोन, जी.पी.एस स्वयं की बचत।                                     | निरंक     | क्रय की अनुमति ली गई। |
| नगपुर कोरार रोड, भोपाल   | अपन 19x40 वर्ग फीट         |      | 30 लालक ललाभग  | स्वयं के नाम पर   | कपसे 9,25,000/- में उज्जयिनी एडिजिज एच.आर.के. प्र.लि. से विलासक, 2007 में क्रय किया। बैंक लोन, जी.पी.एस पितनी, सुहुर एवं स्वयं की बचत से क्रय किया। | निरंक     | do                    |

\* जहाँ लागू न हो कोट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाह्य महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : **Dharmeshwar**  
 नाम : **धर्मेश्वर कुमार शर्मा**  
 पद : **इंस्पेक्टर**  
 विभाग : **शासकीय सुडन तथा लेखन शाखा**  
**महानगर भोपाल**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (1.1.17 से 31.12.17 तक)  
 आर.डी. तलमवार, आर.डी. तलमवार म.उ. शोपाल  
 मध्य प्रदेश शासकीय सेवा, जिसमें वह हो मुन्धय शोपाल

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन 46100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-7-2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (7)       | (8) |
|  |                            |      |  | NIL  |                        |           |     |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर  
 नाम आर.डी. तलमवार  
 पद मुख्य शोपाल  
 विभाग आर.डी. तलमवार म.उ. शोपाल

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

61449-25-1

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **डॉक्टर (MR) लिबरिया** ..... 2. वर्तमान धारित पद **17149-25-1**
3. वर्तमान वेतन **43500 = 08** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-2018** .....

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो                  | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|----------------------------|------|-----------------|--|---|------------------------|-----------|
|   | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |   |                        |           |
| 1) V-9, प्रियदर्शि (गिरान) इलेक्ट्रॉनिक<br>सिलिकॉन ग्राह भोपाल<br>ग्राम - वावडीया 801 | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)   | (7)                    | (8)       |
|   |                            |      | 45000           | स्वयं खर्च के नाम  | स्वयं खर्च से अर्जित किया गया<br>निधि (8) होम लोन<br>डॉक्टर 2003  | Nil                    |           |
| 2) 206. हेमन्त माडक<br>अपरा डिप्ट.<br>भोपाल   |                            |      | 32 लाख          | स्वयं खर्च के नाम  | स्वयं खर्च से अर्जित किया गया<br>निधि (8) होम लोन<br>डॉक्टर   | Nil                    |           |

हस्ताक्षर **Singhania**  
 नाम **डॉक्टर (MR) लिबरिया**  
 पद **17149-25-1**  
 विभाग **शा. मुद्रा तथा लेजर लाभांश**  
**म. प्र. भोपाल**

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दि. 1/12/2017) से 31/12/2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : नंदावि शर्मा अजायिथ 2. वर्तमान धारित पद : एस-डी

3. वर्तमान वेतन : ₹. 43,527/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 1/7/2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा          | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|-----------------|--|---|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |   |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)   | (7)                    | (8)       |
| अपारा (कोल्हा रोड)   | अपारा भवन 30'x40' बाल्कनी  | -    | ₹ 25,00,000/-   | स्वयं एवं पत्नी के नाम पर  | राजिनी कुंज गुरु शिक्षा कार्यो अपारा मकान जिप गेज 2255 पर 10/12 परसेल नंबर 100 लेने परसेल नंबर अपारा शिक्षा अपारा रोड अपारा भवन अपारा अपारा रोड अपारा रोड अपारा रोड | -                      | -         |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : नंदावि शर्मा 31/12/2017

नाम : नंदावि शर्मा अजायिथ

पद : एस-डी

विभाग : विद्युत विभाग, 211/1/2017



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दिनांक 1-1-2017 से 31-12-17 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ..... 2. वर्तमान धारित पद सहायक इंद्र डी रामाश्री प्रवर्मा

3. वर्तमान वेतन रुपये 43,500/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्लॉक                       |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्लॉक | सम्पत्ति से वार्षिक आय   | आभयान्त |   |
|--|---|------|--|--|--|---------|---|
|  | गृह तथा अन्य भवन                                | भूमि |  |  |  |         |   |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)  | (6)  | (7)     |   |
| जिला धौलपुर<br>तहसील- डूंगर<br>कैलाश नगर<br>ग्राम रोमराकला<br>धौलपुर | आवास<br>कच्चा<br>20X30=<br>600 स्क्वार्ड<br>फीट | -    | बराबर<br>(सात लाख<br>पचहत्तर<br>हजार)  | जोमली मान्नी<br>वर्मा (पत्नी)  | रवरीडा राजा<br>वर्ष 1995<br>रघुवीर सिंह (बोधी)<br>जोगेश सिंह (बोधी)<br>श्री लक्ष्म सिंह (बोधी) | -       | डीएस राहत मुजावफा<br>राष्ट्रीय मिहिरा एवं<br>स्वयं की वस्त्र से<br>सुन: मजबूत कमान<br>राजा। |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परभाव यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्लॉक दें।

हस्ताक्षर... 21/3/18  
नाम... रामाश्री प्रवर्मा  
पद... सहायक इंद्र डी  
विभाग... कामगोष्ठ्य नियंत्रण  
शासकीय मुद्रण तथा लेखन  
अप-एओ धौलपुर

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

2. वर्तमान धारित पद **सहायक वर्ग - 40**

दिनांक **20/03/2018**

3. वर्तमान वेतन **37,500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01-07-2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (7)       | (8) |
| सर्वधर्म, कोठार<br>नं. 5. बोरपाळ                                     | अवन                        | -    | 45,00,000/-  | स्वयं एवं पति के बीच में जोन लेनकर प्राप्त किया गया था।  |                        |           |     |

हस्ताक्षर **...** 20/03/2018  
 नाम **दिनेश्वर रागाडा**  
 पद **सहायक वर्ग - 40**  
 विभाग **मुद्रण तथा लेखा**  
**सामग्री नं. 5. बोरपाळ।**

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचाय यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाभित्त्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो CHD भोज प्रसाद नैमा 2. वर्तमान धारित पद 21 दिसंबर 2018-II

अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई 2018

3. वर्तमान वेतन 46,200 + 5700 DA

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
| E-2 शांति शेठार्य<br>होमेश बाग उपविधि<br>मोपाला 21/11/18, गुरुपुल    | गृह<br>(CHD भोज)           | -    | 26,000,000.00   | 2-पंजे के नाम पर   | 24/11/18   | MIL                    | -         |

हस्ताक्षर.....  
 नाम CHD भोज प्रसाद नैमा  
 पद 21 दिसंबर 2018-II  
 विभाग विभाग 21 दिसंबर 2018-II  
21/11/18 गुरुपुल

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

**फार्म**  
**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (डि. 1/17 से 31/17 तक)**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह **हेल्थीमिती एसोसन् रानी शर्मा** ... 2. वर्तमान धारित पद **एस० ग्रेड०-२** ...  
**टु सीन कोडी लिमिटेड बगीचा**  
 3. वर्तमान वेतन **₹. 46,750/- P.M.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1-7-18** ...

| (1)<br>उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो     | (2)<br>सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |                     | (3)<br>भूमि    | (4)<br>*वर्तमान मूल्य   | (5)<br>यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | (6)<br>उसमें किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | (7)<br>सम्पत्ति से वार्षिक आय | (8)<br>अभियुक्ति                            |
|---|-----------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------|---|--|-------------------------------|---|
|   | गृह तथा अन्य भवन                  | भूमि                |                |                         |   |  |                               |   |
| ग्राम मौजा दामखेड़ा तह. - डुबुर जिला - भोपाल सर्वभूमि सेक्टर - A प्लॉट नं. 254. | -                                 | प्लॉट 25X40 वर्गफीट | लगभग 15-30 लाख | -                       | खरीद - क्षितिजीय पॉल (माता जी) से   | निम्न  | निम्न                         | CONIC N.G.T. से आने वाली भूतल निर्माणांकित। |
| ग्राम - महाबाड़िया कोलार रोड, सौख्या फोरसून ट्यूनिप ग्रीन                       | टु प्लॉट नं. -                    | -                   | लगभग 40 लाख    | पति एवं स्वयं के नाम पर | L.T.C. से लोन, स्वयं की बचत F.P.F., पॉलिसी आदि से   | निम्न  | निम्न                         | -   |

हस्ताक्षर .....  
 दिनांक 31/3/18  
 नाम क्षितिजीय कोलार रोड शरी राण  
 पद ... एस० ग्रेड०-२, H.O. B.H.  
 विभाग (आ. ग. व. प्र. वि. का. म. वि. उ. कोषालय)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दिनांक 1-1-2017 से 31-12-2017 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह होशेलेन्ड सिंट सिस्सोदिया ..... 2. वर्तमान धारित पद : सहायक ग्रेड-2

3. वर्तमान वेतन 43,500+ D.A: ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ..... 1-7-2018.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे                 |          | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|--|----------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन                           | भूमि     |                 |  |  |                        |           |
| (1)<br>ओपाल सिंघा<br>ग्राम हताश्वेड़ा,<br>आनन्द नगर,<br>ओपाल.        | (2)<br>घर<br>25'x40'<br>टलार पर<br>निर्मित | (3)<br>— | (4)<br>25 लाख   | (5)<br>स्वयं के नाम से   | (6)<br>स्वयं की बचत, बीपीएफ, पर्सनल लोन एवं पिलाजी से प्राप्त राशि से।   | (7)<br>—               | (8)<br>—  |

हस्ताक्षर .....  
नाम ओलेन्ड सिंट सिस्सोदिया  
पद सहायक ग्रेड-2  
विभाग शाह मुद्रा टाटा लेखन समागरी,  
मध्य, ओपाल.

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दि. 1/7/2017 से 31/12/2017 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन

अधीनस्थ अधिकारी  
 2. वर्तमान धारित पद  
 3. वर्तमान वेतन

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो                    | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय  | अभियुक्ति |     |
|---|----------------------------|------|--|--|---|-----------|-----|
|   | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |   |           |     |
| (1)   | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)       | (8) |
| ग.न. 1309/1310<br>गोली न. 3<br>वाई. का. कमी. का. चण्डपुर<br>जबलपुर<br>त. व. जिला जबलपुर | गजन                        | -    | लगभग 58 लाख  | परि खंख स्वयं के नाम पर  | खरीद - श्री गणेश कंस्ट्रक्शंस इन्डिया से<br><br>S.B.F. से लोन<br>स्वयं की बचत | निल       | -   |

हस्ताक्षर... K. Badarwar... 12-4-13  
 नाम... श्री गणेश कंस्ट्रक्शंस इन्डिया  
 पद... सहा. ए. डी. 2... H.O. B.P.  
 विभाग... (श्री. क. का. लो. का. न. 3. चण्डपुर)

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *श्री राम ठाकुर*
2. वर्तमान धारित पद *डी.डी*
3. वर्तमान वेतन *₹ 8600/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *1/7/19*

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (8)       |
| <i>मोडल</i>  | <i>नए</i>                  |      | <i>700,000</i>   | <i>राम</i>   | <i>पट्टा</i>           |           |
| <i>जिला मोडल</i>   | <i>(741)</i>               |      |  |  |                        |           |
|  | <i>को 3(3)</i>             |      |  |  |                        |           |

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर *MM* ..... 22/3/18  
 नाम *MM ठाकुर*  
 पद *डी.डी*  
 विभाग *डी.डी*  
*श्री राम ठाकुर*  
*राम ठाकुर*

## फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2011-2012 To 31-12-11

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो  
George M.V.  
Govt. Printing & Stationery m.p., Bhopal
2. वर्तमान धारित पद  
Asstt. G. r. c. l. l. l.
3. वर्तमान वेतन  
R.S. 4.2. 2.00/- P.M. अगली वेतनवृद्धि की तारीख  
July. 2.018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|----------------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                      |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)                  | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
| भोपाल डुमुर, गोविन्दपुर.   | Flat                       | नहीं | रुपये 15000<br>मात्र | स्वयं एवं पत्नी के नाम पर.   | रुपये 2,00,000/-<br>(दि. 1-6-1999) बैंक लोन द्वारा की. 25 लाख स्वयं एवं पत्नी के नाम से अर्जित किया गया वचन बांझी से कर लिया गया                           | -                      | -         |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य प्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर .....  
नाम .....  
पद .....  
विभाग .....

George M.V.  
Asstt. G. r. c. l. l. l.  
Govt. Printing & Stationery  
m.p., Bhopal



**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2016-17-2017 से 31-12-2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमान. शशिनाथ शर्मा** **श्रीमान. शशिनाथ शर्मा** **श्रीमान. शशिनाथ शर्मा**

2. वर्तमान धारित पद **सहायक डी.डी. III**

3. वर्तमान वेतन **42200/-** **अगली वेतनवृद्धि की तारीख** **जुलाई - 2018**

| उस जिले, उप-सभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|---|----------------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|   | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |  |                        |           |
| (1)   | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
| —   | —                          | —    | —               | —  | —  | —                      | —         |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार छह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शकेमुभी-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर ..... **SNK**  
 नाम ..... **शशिनाथ शर्मा**  
 पद ..... **सहायक डी.डी. III**  
 विभाग/शासकीय/सुको/न्यायिक/जन  
**2016/1, अ.प्र.अभिलेख**

दिनांक 31-3-18

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अशोक चौरसिया** ..... 2. वर्तमान धारित पद **बि.बि.डी.डी. 90/12** .....
3. वर्तमान वेतन **₹ 28,000/-** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **1.7.18** .....

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय           | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|----------------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                                  |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                              | (7)       | (8) |
| बि.बि.डी.डी. 90/12<br>फरवरी 1978                                     | A-152<br>2974              | -    | 2000.000   | (पट्टा के तहत)   | 5.13.1 के तहत<br>- 5.13.1 के तहत | निरंतर    |     |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शांकिमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर .....  
 नाम **अशोक चौरसिया** .....  
 पद **बि.बि.डी.डी. 90/12** .....  
 विभाग **अ.प.डी. एच. के. वि. वि. एम.डी.**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017-18 से 2018-19 तक

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो सरोजमता चौधरी 2. वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-III

3. वर्तमान वेतन ₹ 38,600/- ... आली वेतनवृद्धि की तारीख 1-7-2018 ...

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (7)       | (8) |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर सरोजमता चौधरी  
 नाम सरोजमता चौधरी  
 पद सहायक ग्रेड-III  
 विश्वामुद्रा तथा केषन सामग्री  
 मण्डल, भा. पा. म.

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री मन्दी शंकर प्रसाद 2. वर्तमान धारित पद अध्यापक सि. 5-B

3. वर्तमान वेतन 38600 + D.A. अगली वेतनवृद्धि की तारीख 31.7.2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो   | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>** खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरे | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति  |
|--|----------------------------|------|--|---|------------------------|--|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |   |                        |  |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)   | (6)                    | (7)  |
| शोयल बिकास प्राधिकरण द्वारा स्वीय- एडरीसिडियन - 1 शेडर की ग्राम वीथनोर पवारी हल्का नं. 4 तहसील डूधर जिला, गोरख | प्ल 3405<br>968.40 वर्गफिट | -    | 14,40,000  | स्वयं के नाम पर धारित किया गया दि. 30-3-2016 को डूधर जिला गंगा बंधन की मदद एवं एन.आई.सी लोन लेकर डूधर किया गया है।  | NIL                    | कार्यालय में कार्य करती थी।<br>स्वयं की पत्नी के |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लाभाग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
शक्रेमुभी-926-अससप्रावि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर शुभ 20-3-18  
नाम सिंध्या पदर  
पद सि. 5-B  
विभाग निर्देशक, डूधर जिला लेखन सामग्री  
नं. 5-2018

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (मिप 1-1-2017 अंत 31-12-2017)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... 2. वर्तमान धारित पद ...

3. वर्तमान वेतन ... 38,600/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 2018

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |                               | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय                         | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|-------------------------------|--|--|--|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि                          |  |  |  |           |
| (1)  | (2)                        | (3)                           | (4)  | (5)  | (6)  | (8)       |
| श्रीपाल<br>ग्राम खंजनास दे खंड                                       | -                          | प्लॉट<br>2x50=100<br>वर्गफुट  | वर्तमान मूल्य<br>100000<br>2-15-2017   | 2-4-2017   | श्रम भं- 2010-11<br>20000-2012 (3/12)          | -         |
| बहीर<br>ग्राम नौडी   | -                          | प्लॉट<br>2575=1150<br>वर्गफुट | वर्तमान मूल्य<br>100000<br>वर्गफुट<br>वैशेष्यधर मा   | श्रीमती अर्जुनाबाई<br>पत्नी  | श्रम भं 2005<br>मौलाना 2012, मोनाल<br>(2/2013) | -         |

\* जहां लान न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर ...  
नाम ...  
पद ...  
विभाग ...





**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो चन्द्रकान्त वास्तव ..... 2. वर्तमान धारित पद स्टाफ-3 .....

3. वर्तमान वेतन Rs. 44,800/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2018 ..  
Other Allowance

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे                                |      | **वर्तमान मूल्य                    | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|---|------|------------------------------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन  | भूमि |                                    |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)                                | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
| भोपाल  | गुरु<br>मै-जे-1-08<br>बचमान नग्न<br>पार्क कालोनी<br>भोपाल | -    | Rs. 8,00,000/-<br>(No. Eight Lac.) | स्वयं  | बैंक लोन द्वारा<br>हम किरा गराका था  | NIL                    |           |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
\*\*\* इसमें अल्पकालीन परदे भी सम्मिलित हैं।  
टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर परदे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
शाकमुभो-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर ..... Chandra Kant Vastav ..... 29-03-2018  
नाम चन्द्रकान्त वास्तव  
पद स्टाफ-3  
विभाग मुद्रा तथा लेखा विभाग

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2018**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री. अशोक पाठक.....
2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ शिक्षक.....
3. वर्तमान वेतन 34100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो       | सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरा |                       | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय   | अभियुक्ति       |                 |
|--|----------------------------|-----------------------|--|--|--|-----------------|-----------------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि                  |  |  |  |                 |                 |
| (1)<br><u>श्री. अशोक पाठक</u><br><u>प. ए. नं. 38</u><br><u>अचल अंतर्गत</u> | (2)<br><u>ग. डे.</u>       | (3)<br><u>15 एकड़</u> | (4)<br><u>लगाव</u><br><u>15 एकड़</u>   | (5)<br><u>स्वयं अर्जित</u><br><u>नाम से</u>  | (6)<br><u>बैंक लोन उधार</u><br><u>पर अर्जित</u><br><u>पट्टा से अर्जित</u><br><u>राश्ट्र स्व स्वयं से</u><br><u>अचल अंतर्गत</u><br><u>कुल 9,25,000/-</u><br><u>वर्ष 2008</u><br><u>मूल्य 3,00,000/-</u><br><u>15 एकड़ अंतर्गत</u><br><u>अचल अंतर्गत</u> | (7)<br><u>-</u> | (8)<br><u>-</u> |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।

शाकेमुभो-926---अससप्रावि-22-10-09---15,000.  
 हस्ताक्षर: P. B. B.  
 नाम श्री. अशोक पाठक  
 पद अधीनस्थ शिक्षक  
 विभाग श्री. अशोक पाठक तथा लखन साहू  
अध्यापक

16-3-18

2801/1-2017 का 31/12/2017

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्री. 10 वासु देवराज** ..... 2. वर्तमान धारित पद **एसएस 25-111**

3. वर्तमान वेतन **33200/-** ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **01.07.2018**

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | *वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|----------------|--|---|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                |  |   |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)            | (5)  | (6)   | (7)                    | (8)       |
| <b>एच. 150 पंचायत<br/>54-11-19परी<br/>दला भोपाल</b>                  | <b>6291<br/>17817</b>      | -    | -              | <b>दरपट्टा ए<br/>पट्टी के माफ</b>  | <b>एच. 150 पंचायत<br/>54-11-19परी<br/>दला भोपाल</b>   |                        |           |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाभा मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शकेमुभी-926-अससप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर **...** 31.3.2018  
 नाम **श्री. 10 वासु देवराज**  
 पद **एसएस 25-111**  
 विभाग **54-11-19परी दला भोपाल**

(शिवक 1-1-17 से 31-12-17)

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20 17

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **विनोद डवत**
2. वर्तमान धारित पद **र-हायक ऑडिटर**
3. वर्तमान वेतन **51,200 + D.A.** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2018**

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्योरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्योरे | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
|  |                            |      |                 | पत्तक  |  |                        |           |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्योरे दें।  
 हाकेमुभा-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.  
 हस्ताक्षर.....  
 नाम **विनोद डवत**  
 पद **र-हायक ऑडिटर**  
 विभागाध्यक्ष **मुकुंदराज लेखन**  
**र-हायक, म.प्र. भोपाल**

**फार्म**

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दिनांक 1-1-17 से 31-3-17 की स्थिति में)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रमेशकांत शिवेश** ... 2. वर्तमान धारित पद **सहायक ग्रेड तीन**

3. वर्तमान वेतन **रुपये 32000/-** ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2018**

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
|  |                            |      |                 | <b>रिक्त</b>   |  |                        |           |

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।

\*\* ऐसे मामलों में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

\*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : - मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

शाकेमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.

हस्ताक्षर .....  
 नाम **रमानाथ शिवेश**  
 पद **सहायक ग्रेड तीन**  
 विभाग **कार्योत्तर नियंत्रक**

**शासकीय सुदूर टाभा लेखा धारा**  
**भारत सरकार**

दिनांक **31-3-18**

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो *अश्विनी सिंह (होम आर्य समाज) वर्तमान धारित पद - महापंच-अड-सीन*

3. वर्तमान वेतन... *₹. 60,000/-* अगली वेतनवृद्धि की तारीख *01/07/2018*

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो  | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |  | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय  | अभियुक्ति   |             |
|---|----------------------------|--|--|--|---|-------------|-------------|
|   | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि   |  |  |   |             |             |
| (1)   | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)   | (7)         | (8)         |
| <i>ग्राम - पीपडा बलो<br/>पट्टा नं० 16<br/>राजपूरा विरहीश्वर मठ<br/>02 विभागा 2405 8521<br/>तहसील - डुमरा<br/>जिला - अजमेर</i> | <i>—</i>                   | <i>भूमि<br/>असल क्षेत्रफल<br/>209/2/120<br/>210 का अंश<br/>शाखा क्षेत्रफल<br/>1200 वर्ग फीट<br/>24-8/15 9/10<br/>95-96</i> | <i>3,46,000/-</i>  | <i>विशेष नगम</i>   | <i>1957 की अचल संपत्ति<br/>मोलापरी से लोन ले कर एवं<br/>मालिकी एवं सुराहाल पक्ष<br/>की मदद से,<br/>अर्जन तारीख 23-03-15<br/>पदा-सामाजिक प्रबंधक पदा-अ<br/>पुरजोतन पदा-अ. 20/09/05<br/>-शिवली मकान-नं०-1193<br/>09/09/07 (मालिकी) धरेका-<br/>माहिर अजमेर (क. ड.)</i> | <i>निरत</i> | <i>निरत</i> |

\* जहां लागू न हो काट दी जाए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के परचाए यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तारीखें उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकेमुभो-926-अससप्राधि-22-10-09-15,000.  
 हस्ताक्षर *ASJ*  
 नाम *अश्विनी सिंह पंचा*  
 पद *महापंच-अड-सीन*  
 विभाग *निर्देशक शासकीय अड-अ/अ. 24/05/07*  
*05/07-9) पालक क. ड.)*

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20/18\***

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्री राजेश चौर्यन 2. वर्तमान धारित पद अधीनस्थ - 3
3. वर्तमान वेतन ₹ 24,000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख .....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (7)       | (8) |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |

₹ 0  
19900

हस्ताक्षर राजेश चौर्यन 31/3/18  
 नाम राजेश चौर्यन  
 पद अधीनस्थ - 3  
 विभाग 1-1

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।



फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017 (दिनांक - 1/1/17 से 31/12/17 तक)

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : आश्री ज्योति बालकृष्ण ..... 2. वर्तमान धारित पद : सहायक अड-III

3. वर्तमान वेतन : 23,000/- ..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख : 01/07/2018 .....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |     |
|--|----------------------------|------|--|--|------------------------|-----------|-----|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                        |           |     |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                    | (7)       | (8) |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |
|  |                            |      |  |  |                        |           |     |

निरंक

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर : Shalwalkar  
 नाम : आश्री ज्योति बालकृष्ण  
 पद : सहायक अड-III  
 विभाग : शां.मु. (तथा) लेखन सामग्री  
शोपाल म.प.



दिनांक 1-1-17 से 31-12-17 तक

फार्म

\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो राजेश्वर प्रसाद शर्मा..... 2. वर्तमान धारित पद असहायक जे.डी.ओ......

3. वर्तमान वेतन 3,12,000/-..... अगली वेतनवृद्धि की तारीख 1/7/2018.....

| उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय               | अभियुक्ति |        |
|--|----------------------------|------|--|--|--------------------------------------|-----------|--------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |  |  |                                      |           |        |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)  | (5)  | (6)                                  | (7)       | (8)    |
| वाडिन-77 महाराजपुरा<br>अधरतखि, जिला-<br>अबालपुरा                     | लगाट-<br>2341 वर्ग-<br>फीट | -    | शास्तिगाड्ड<br>आर्जनकमुला  | स्वयं एवं पुत्रकुली  | खरीद<br>श्री शालोनकुमार<br>फरिश्वा   | नहीं      | अचल-से |
| म.उ. हाकुसिंगकोड<br>सुभाषनगर, महाराजपुरा<br>आधारताल अबलपुरा          | भवन-<br>880 वर्गफीट        | -    | शास्तिगाड्ड<br>आर्जनकमुला  | स्वयं  | खरीद<br>म.उ. हाकुसिंगकोड<br>अबालपुरा | नहीं      | अचल-से |

हस्ताक्षर राजेश्वर प्रसाद शर्मा 21/12/2017  
 नाम राजेश्वर प्रसाद शर्मा  
 पद असहायक जे.डी.ओ.  
 विभाग श्री 0 मुहान्तधोलखल सामग्री  
म.उ. अबल

\* जहां लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

31-12-17

फार्म

- (1) अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम तथा उस सेवा का नाम जिसमें वह हो दीपक कुमार रायकवार (2) वर्तमान धारित पद सहायक ग्रेड-3  
 (3) वर्तमान वेतन 24700/- (4) अगली वेतन वृद्धि की तारीख 01-07-2018.

| उस जिले, उप संभाग तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें स्थिति हो | संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारियों से क्या संबंध है। | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया, खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | संपत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति                                |
|---|---------------------------|------|---------------|---|--|-----------------------|--|
|   | गृह तथा अन्य भवन          | भूमि |               |   |  |                       |  |
| 01<br>1. ग्राम सेबनिया<br>ओंकारा भोपाल                      | 02                        | 03   | 04            | 05  | 06   | 07                    | 08                                       |
|   | -                         | फाट  | 475000/-      | स्वयं   | मो: काशिफ से क्रय किया   | कुछ नहीं              |  |
|   | -                         | फाट  | 225000/-      | स्वयं   | मो: साबिर से क्रय किया   | कुछ नहीं              | माता जी द्वारा स्वयं की बचत से क्रय किया |

हस्ताक्षर  
 31-12-17

- जहाँ लागू न हो काट हीजिए.
- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बताया जाय
- इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित है
- टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवा (आवरण) नियम 1959 के नियम-18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार बढ़ मढ़ीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भरकर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हों।

नाम :- दीपक कुमार रायकवार  
 पद :- सहायक ग्रेड-3  
 विभाग :- नियंत्रक शासकीय लेखन सामग्री एवं प्रकाशन भंडार भोपाल

11/17 से 31/12/17 तक

**फार्म**

**\*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 2017**

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... 11/17 से 31/12/17 तक

3. वर्तमान वेतन ... 277,000/- ... अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 1.7.18

| उस जिले, उप-संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो | सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरे |      | **वर्तमान मूल्य | यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है | उसे किस प्रकार अर्जित किया गया<br>**खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा | सम्पत्ति से वार्षिक आय | अभियुक्ति |
|--|----------------------------|------|-----------------|--|--|------------------------|-----------|
|  | गृह तथा अन्य भवन           | भूमि |                 |  |  |                        |           |
| (1)  | (2)                        | (3)  | (4)             | (5)  | (6)  | (7)                    | (8)       |
|  |                            |      |                 | NIL  |  |                        |           |

हस्ताक्षर... N. H. K. ...  
 नाम ... श्री. के. श. लोन्करे  
 पद ... श्री. ए. वि. - सी.  
 विभाग ... 211/40 ...  
 शासकीय कार्यालय

\* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।  
 \*\* ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।  
 \*\*\* इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।  
 टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।  
 शाकेमुभी-926-अससाप्रवि-22-10-09-15,000.